

दिनांक 28 मार्च, 2017 को अपरान्ह 03:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संयुक्त तत्वाधान में “जीएसटी पर कार्यशाला एवं केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के निर्धारिती (Assesses) का जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानान्तरण” पर सत्र का आयोजन किया गया जिसमें जीएसटी तथा जीएसटीएन पर माइग्रेशन के बारे में जानकारी दी गयी।

उक्त कार्यशाला को श्री संसार चन्द, आयुक्त, ने संबोधित किया और बताया कि हम कैसे जीएसटीएन पर माइग्रेट करेंगे।

जीएसटी का संछिप्त विवरण श्री विवेक गुप्ता, अधीक्षक ने दिया तथा श्री डी.के.दुबे, नेशनल ट्रेनर, जीएसटी, पैन इंडिया ने करदाताओं को जीएसटी में कैसे माइग्रेट करना है की विस्तृत जानकारी दी। श्री दुबे ने सूचित किया कि जीएसटी माइग्रेशन के लिए टोलफ्री नं 18001200232 तथा ईमेल आई.डी. [CBECMITRA.HELPDESK@ICEGATE.GOV.IN](mailto:CBECMITRA.HELPDESK@ICEGATE.GOV.IN) पर संपर्क किया जा सकता है।

**परिचर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि:**

- अपने मौजूदा ACES यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके [www.aces.gov.in](http://www.aces.gov.in) पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
- पॉप-अप इन्टरमिडियरी ओपनिंग पेज में प्रदर्शित हाइपरलिंक पर क्लिक करके Home Page>Menu>REG>Provisional ID for GST के माध्यम से, अस्थायी आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
- [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) पर लॉग ऑन करें।
- ACES वेबसाइट से प्राप्त प्रोविंसिनल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूनिक यूजर नेम और नया पासवर्ड बनाये।
- फॉर्म 20 में नामांकन आवेदन भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन फॉर्म जमा करें।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर के पंजीकृत निर्धारितों, जिन्हें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रोविंसिनल आईडी प्रदान कर दी गयी है, को फिर से सीबीईसी के माध्यम से नया प्रोविंसिनल आईडी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जीएसटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा जनसाधारण तक इसकी जानकारी पहुंचाना है एवं जो करदाता पहले से विभाग में पंजीकृत है उनको जीएसटीएन में माइग्रेट कराना है।

कार्यशाला का संचालन श्री मुकुल बाजपेई, अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ने किया।

आयोजित की गयी इस कार्यशाला में श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उ.प्र., श्री बी.के.लाहोटी, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उ.प्र., श्री जी.सी. यादव, श्री सी.एन. मिश्रा, श्री सुशील कनोडिया तथा मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं कानपुर की अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्यगण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

एवं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर